



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय

पर्यावास भवन सेक्टर-19 , नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

अटल विहार योजना गोबरा नवापारा, रायपुर में आवासीय भवन क्रय करने हेतु नियम/ शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन JR. MIG रू. 1000/-, SR. MIG रू. 1000/-, JR. HIG रू.1200/- HIG रू. 1200/- तथा SR. HIG रू. 1200/- ऑनलाईन भुगतान करेंगे। केवल नये पंजीयन कर्ताओं के लिए।
2. नियमानुसार घोषित स्थिर एवं अंतिम मूल्य के 10% राशि ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ (ONLINE PAYMENT GATEWAY) के माध्यम से ऑनलाईन किया जावेगा।
3. यदि ऑनलाईन भुगतान पश्चात् बैंक से मण्डल को भुगतान की पुष्टि/ सुनिश्चित न होने या फिर ट्रांजेक्शन असफल होने की स्थिति में चयनित भवन/भूखण्ड/दुकान ऑनलाईन पंजीयन विक्रय हेतु रोक कर रखा जावेगा एवं अगले कार्य दिवस को विक्रय हेतु खोला जावेगा।
4. पंजीयन के पश्चात भवन क्रमांक का आबंटन मण्डल नियमानुसार "प्रथम आओं प्रथम पाओं" पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मण्डल परिपत्रानुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने पश्चात यदि हितग्राही द्वारा राशि वापस मांग की जाती है तो नियमानुसार मण्डल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन में से 50% राशि कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
6. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा।
7. मण्डल द्वारा योजना कार्यादेश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
8. आबंटी को भवन के मूल्य एवं गुणवत्ता पर या निर्माण संबंधी कोई आपत्ति जो सुधारी नहीं जा सकता है, तो वे अपना आबंटन निरस्त करा कर मण्डल में जमा राशि नियमानुसार बिना ब्याज के साथ राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।
9. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्री-होल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे। भवनों

में निर्माण हेतु योजना अंतर्गत संलग्न तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।

10. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों की फ्री-होल्ड विक्रय पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा।
11. आबंटित भूखण्ड का आधिपत्य के पूर्व फ्री-होल्ड की संपरिवर्तन शुल्क एवं नियमानुसार देय राशि जमा कराकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जावें।
12. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहे वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हो मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों कि सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 50% अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 05 साल के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।
13. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./ मोबाईल नं., ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
14. उक्त योजना छ0 ग0 रेरा एवं मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा। योजना अवधि में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर/ शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो आवेदक को भारित किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा देय होगा।
15. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
16. भूखण्ड का एकमुश्त/स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत क्रय करने पर संपूर्ण राशि जमा कर सेलडीड/ लीजडीड/ फ्री-होल्ड डीड निष्पादित होने के उपरांत एवं पंजीकृत सेलडीड/लीजडीड/फ्री-होल्ड की सत्याप्रति प्रस्तुत करने पर ही आधिपत्य सौंपा जायेगा।
17. आधिपत्य आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर भवन का आधिपत्य आबंटी को लेना अनिवार्य है। 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात स्वमेव आधिपत्य लिया हुआ माना जावेगा कि आबंटी द्वारा भवन का आधिपत्य ले लिया गया है तथा देखरेख एवं रखरखाव की पूर्ण जवाबदारी आबंटी की होगी। मण्डल द्वारा 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् भवनों का रखरखाव/ मरम्मत कार्य नहीं किया जावेगा। इस अवधि के पश्चात् पृथक से आधिपत्य की आवश्यकता नहीं होगी।

18. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य में अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, अन्य प्रभार जो आबंटन की तिथि में प्रभावशाली है, समाहित है।
- (ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नगर निगम/नगर पालिका/स्थानीय निकाय से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
19. योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आबंटी को भवन आधिपत्य देने के पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण (THIRD PARTY INSPECTION) किया जावेगा, जिसमें एक पक्ष आबंटी, द्वितीय पक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता एवं तृतीय पक्ष मण्डल द्वारा आदेशित संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी होंगे। यदि निरीक्षण में कोई कमियां पायी जाती है तो कार्यपालन अभियंता 15 दिवस में उसका निराकरण कर आबंटी को सूचित करेंगे। यदि इसके पश्चात् भी आबंटी संतुष्ट नहीं हो तो उस क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को त्रुटियों/कमियों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालन अभियंता को 15 दिवस की अवधि में इसका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। तदनुसार निराकरण पश्चात् यदि आबंटी फिर भी संतुष्ट न होने पर अपनी संपूर्ण जमा राशि मण्डल नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकता है।
20. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
21. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती है तो मण्डल की अनुमति से उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए छ0 ग0 रैरा नियमानुसार भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस 02 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ हितग्राही को राशि जमा करना होगा।
22. पंजीयन एवं किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
23. योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रू. 50/- के नान-ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटी को देना होगा।
24. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/ संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर/कार्यपालन अभियंता, संभाग- 04, रायपुर कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं मण्डल के वेबसाईट <https://www.cghb.gov.in/> में देखा जा सकता है।
25. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
26. ऐसी योजना/ योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/ योजनाएं ली जानी मण्डल हित में नहीं होगी, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।

तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि नियमानुसार ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।

27. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/ हानि/ मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
28. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रूप से देंगे।
29. इस आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
30. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर एवं छ0 ग0 रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
31. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
32. भवन का पूर्ण मूल्य आबंटन आदेश में अंकित किशतों का भुगतान हितग्राही को करना होगा। भवन का आधिपत्य भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा।
33. आबंटित भवन के मूल्य के समस्त किशतों के भुगतान पश्चात् लीज एग्रीमेंट के अभिलेखों का पंजीयन रजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी कार्यालय में करने के पश्चात् भवन का आधिपत्य प्रदान किया जायेगा।
34. मण्डल द्वारा कॉलोनी का रखरखाव यथा जलप्रदाय, सीवर लाईन, रोड नाली की साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट आदि संपदा अधिकारी द्वारा प्रथम आधिपत्य आदेश जारी होने के तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक किया जावेगा।
35. 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन नहीं होने पर आबंटितों के मध्य से प्रथम 10 आबंटित सदस्यों को कॉलोनी वासियों की समिति का कार्यवाही सदस्य मानते हुए मण्डल के अधिकारी द्वारा पहल करते हुए, उक्त समिति का गठन कर निर्धारित प्रावधानों के पूर्ण कराया जावेगा।
36. (अ) आबंटनी आधिपत्य पश्चात् आवासीय परिसर की समिति का सदस्य बनने के लिए सहमत होगा।
(ब) समिति गठन हेतु मण्डल के अधिकारी से समन्वय कर निर्मित भवनों में 51% व्यक्तियों द्वारा आधिपत्य प्राप्त होने के तिथि 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन अनिवार्य होगा तथा 51% आधिपत्य पश्चात् 05 वर्ष की अधिकतम समयावधि के लिए संधारण हेतु मण्डल उत्तरदायी होगा।